कार्या

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर,
पीठासीन अधिकारी :– सुभाष चन्द्र आर.ए.एस.

सं. 89 / 2019
सीएमएस : 2019 / 89

1. शीतल पत्नी श्री धमेन्द्र कुमार पुत्री श्री विजय सिहं बेनिवाल जाति बिश्नोई साकिन वार्ड नं. 11, 60 एलएनपी (रिड़मलसर बारानी) तहसील पदमपुर जिला श्री गंगानगर राजस्थान।
2. गीतु पुत्री श्री धमेन्द्र कुमार जाति बिश्नोई साकिन वार्ड नं. 11, 60 एलएनपी (रिड़मलसर बारानी) तहसील पदमपुर जिला श्री गंगानगर राजस्थान।
3. आकाश पुत्र श्री धमेन्द्र कुमार जरिये नाबालिग कुदरतीबल माता शीलत पत्नी धमेन्द्र कुमार जाति बिश्नोई साकिन वार्ड नं. 11, 60 एलएनपी (रिड़मलसर बारानी) तहसील पदमपुर जिला श्री गंगानगर राजस्थान। —:प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री धमेन्द्र कुमार पुत्र श्री राजाराम जाति बिश्नोई साकिन रिड़मलसर बारानी तहसील पदमपुर जिला श्री गंगानगर राजस्थान।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) पदमपुर।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) रायसिंहनगर। —:अप्रार्थीगण

<u>वादपत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम</u>

उपस्थित अधिवक्तागण

1. **श्री रविन्द्र कुमार बिश्नोई .प्रार्थीगण अधिवक्ता.**
2. **श्री सुशील कुमार गोदारा अप्रार्थीगण अधिवक्ता**

दिनांक :– 07.10.2024

—: निर्णय :—

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी शीतल पत्नी श्री धमेन्द्र कुमार वगैरा जाति बिश्नोई निवासी रिडमलसर तहसील पदमपुर की ओर से श्री रबिन्द्र बिश्नोई अधिवक्ता ने वाद–पत्र के साथ सलंग्न प्रार्थना –पत्र इस आश्य का प्रस्तुत किया है कि अप्रार्थी सं. 1 प्रार्थीगण का कमशः पिता/ पति जिसके नाम से मुश्तरका खाता में वाके चक 30 एम एल तहसील रायसिंहनगर के मु.न. 3–10–09 –17 प.न. 105 / 276, 105 / 277, 106 / 277, 108 / 278 में कुल 14.764 है. नहरी भूमि मे हम प्रार्थीगण के पिता /पति का 1 / 4 हिस्सा बनता है तथा चक रिड़मलसर बारानी तहसील पदमपुर के मु.न. 31व 32 में 8.855 है. बारानी भूमि में हम प्रार्थीगण के पिता/पति की 2.213है. बारानी भूमि है। उक्त भूमि हम प्रार्थीगण के पिता/पति को विरास्तन प्राप्त हुई। अप्रार्थी सं. 1 शराब के नशे का आदि है तथा हमेशा शराब में द्युत रहता है। उक्त भूमि को बार–बार बेचान की धमकी हम प्रार्थीगण को देता है। कोई ग्राहक मिला तो उक्त भूमि का बेचान कर दुगा। उक्त भूमि अप्रार्थी सं. 1 को विरास्तन प्राप्त हुई है। जिसमें हम प्रार्थीगण का हक व हिस्सा है। उक्त भूमि पर अप्रार्थी सं. 1 ने ओरियन्टल बैक शाखा पदमपुर से ऋण प्राप्त हुआ है। अप्रार्थी सं. 1 उक्त भूमि को आगे बेचान कर देगा तो हम प्रार्थीगण को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा। उक्त भूमि का दिनांक 5.09.2019 को अप्रार्थी सं. 1 को हम प्रार्थीगण ने हमारा हिस्सा व हक बनता है, इसका खाता विभाजन करने कोर्ट में लिख पढ़ करने को कहा तो हम प्रार्थीगण से झगड़ फसाद करने लग गया ओर कहा कि तुम सभी को घर से निकाल कर तम्हे बेधर कर [illegible] बस यही तारीख बिनाय प्रार्थना–पत्र है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी [illegible] शास्वत व्यादेश जारी किया जाना न्यायोचित है। अगर अप्रार्थी सं. 1 उक्त [illegible] बेचान कर देगा तो ना पुरा होने वाला नुकसान ,अपूर्णिय क्षति होगी। [illegible] व प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र [illegible] कर ता फैसला वाद के निर्णय तक इस आश्य की अस्थाई निषेधाज्ञा पारित [illegible] चक 30 एम एल तहसील रायसिंहनगर के मु.न. 3–10–09 –17 [illegible] 105 / 276, 105 / 277, 106 / 277, 108 / 278 में कुल 14.764 है. नहरी नहरी भूमि [illegible] जिसमें हम प्रार्थीगण के

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2024.11.25 14:49:31 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

AnyScanner

पिता/पति का 1/4 हिस्सा बनता है। तथा चक रिड़मलरार बारानी तहसील पदमपुर के मु.न. 31व 32 में 8.855 है. बारानी भूमि में हम प्रार्थीगण के पिता/पति की 2.213है. बारानी भूमि को अप्रार्थी सं. 1 किसी प्रकार से अन्यत्र बेचान व हस्तातरित करने से बाज व ममनू जावे तथा तब तक मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

2. प्रार्थीगण के द्वारा प्रार्थना –पत्र प्रस्तुत करने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर सम्बधित पक्षकारान को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 की ओर से श्री सुशील कुमार गौदारां अधिवक्ता हाजिर होकर जबाव प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि अपने जवाव प्रार्थना–पत्र में प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का विरोध प्रकट करते हुये कहा कि उक्त विवादित भूमि अप्रार्थी स. 1 को जरिये वसीयत प्राप्त हुई है। इसलिए प्रार्थीगण को उक्त भूमि कोई हक व हिस्सा नहीं बनता है। मुझे अप्रार्थी को हैरान परेशान करने के लिए न्यायालय के समक्ष मिथ्या तथ्य पेश कर भूमि हड़प करना चाहते है। प्रार्थीगण का कोई हक हिस्सा उक्त भूमि में नहीं बनता है। उक्त भूमि अप्रार्थी सं. 1 को जरिये वसीयत प्राप्त हुई है। इसलिए प्रार्थीगण का ना ही कोई नुकसान ना ही कोई अपूर्णीय क्षति होती है तथा प्रथम दृष्टया मामला भी प्रार्थीगण के पक्ष में न होकर मुझे अप्रार्थी के पक्ष का है। उक्त भूमि जरिये वसीयत उसे प्राप्त हुई। इसलिए प्रार्थीगण का कोई हक व अधिकार नहीं बनता है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फमरया जावे तथा खर्चा जबाव देही दिलाया जावे। इसी दौरान प्रार्थी विधादेवी वगैरा ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना–पत्र आदेश 1 नियम 10 व धारा 151 सीपीसी का प्रस्तुत किया। जिसकी प्रति वकील प्रार्थी दिलवाई गई। परन्तु अभी तक जबाव प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत नहीं हुआ है। प्रार्थी विधादेवी वगैरा के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र हम प्रार्थीगण को कोई आपत्ति नहीं है। केवल मात्र अनुतोष हमने अप्रार्थी सं. 1 के विरूद्व चाहा गया है।

3. बहस पक्षकारान अधिवक्तागण की सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने अपनी बहस मे प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा विवादित भूमि पैतृक सम्पति है। जिसमें अप्रार्थी सं. 1 मूल वाद के निर्णय तक बैय करने बाज व ममनु रहें । तब तक रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने हेतु निवेदन किया है। वकील अप्रार्थी सं. 1 ने अपनी बहस में अपने जबाव प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि विवादित भूमि पर प्रार्थीगण का कभी कब्जा नहीं रहा है। विवादित भूमि अप्रार्थी सं. 1 जरिये वसीयत प्राप्त हुई है। उक्त विवादित आराजी उनकी जरिये स्वंयअर्जित सम्पति है। जिस में प्रार्थीगण का कोई हक व हिस्सा नही है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

4. बहस पक्षकारान के अधिवक्तगण का ध्यान पूर्वक अध्ययन किया गया। तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन किया। विवादित भूमि वाके चक 30 एम एल तहसील रायसिंहनगर के मु.न. 3–10–09 –17 प.न. 105/276, 105/277, 106/277, 108/278 में कुल 14.764 है. नहरी भूमि मे हम प्रार्थीगण के पिता /पति का 1/4 हिस्सा बनता है तथा चक रिड़मलसर बारानी तहसील पदमपुर के मु.न. 31व 32 में 8.855 है. बारानी भूमि में हम प्रार्थीगण के पिता!पति की 2.213है. बारानी भूमि है। उक्त भूमि हम प्रार्थीगण के पिता/पति को विरास्तन प्राप्त हुई। अप्रार्थी सं. 1 अपने जबाव प्रार्थना–पत्र में अंकित किया है कि उक्त उसे जरिये वसीयत प्राप्त हुई है। इन दोनों बिन्दूओं का निस्तारण इस प्रकरण में नहीं होना है। जो कि मूल वाद में दोनों पक्षों के साक्ष्य लिये जाकर मेरिट के आधार पर किया निर्णय किया जाना है। फिलहाल तो स्थगन प्रार्थना–पत्र का ही [illegible] है। विवादित भूमि वर्तमान में अप्रार्थी सं. 1 के मुश्तरका खाते में राजस्व रिकॉ[illegible]। जिसका फायदा उठा कर उक्त विवादित आराजी को अप्रार्थी [illegible] जिसका फायदा उठाकर उक्त भूमि बेचान किया जाता है तो इसमें अपूर्णीय [illegible] अप्रार्थी सं. 1 को न होकर प्रार्थीगण को होगा। भूमि का बेचान होने पर अनावश्यक [illegible] बढेगा। विवादित भूमि अप्रार्थी सं. 1 के द्वारा बेचान कर दी जाती [illegible] इसे अपूर्णीय क्षति अप्रार्थी सं. 1 को न होकर प्रार्थीगण को होगी जिस ना पूरा होने वाला नुकसान की भरपाई मुद्राओ में नहीं आंकी जा सकेगी। तथा ऐसे में सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष प्रतीत होता है तथा सुविधा का सन्तुलन भी अप्रार्थी सं. 1 के पक्ष में न होकर प्रार्थीगण के

अधिकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2024.11.25 14:49:31 IST
Reason: SelfAttested

AnyScanner

पक्ष में प्रतीत होता है। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में मुश्तरका खाते में दर्ज भूमि मे अप्रार्थी स. 1 से ही चाहा जा रहा है। अन्य खातेदारों के खिलाफ कोई अनुतोष नहीं चाहा है। पार्थी विधादेवी वगैरा के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र हम प्रार्थीगण को कोई आपत्ति नहीं है। केवल मात्र अनुतोष अप्रार्थी सं. 1 के विरुद्ध चाहा गया है। ऐसे में प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–:आदेश:–

उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी स 1 के विरुद्ध इस आश्य की स्थाई निषेधाज्ञा पारित की जाती है विवादित भूमि वाके चक 30 एम एल तहसील रायसिंहनगर की खाता नं. 43/42 के मु.न. 3–10–09 –17 प.न. 105/276 105/277, 106/277, 108/278 में कुल 14.764 है. नहरी भूमि मे हम प्रार्थीगण के पिता पति का 1/4 हिस्सा बनता है तथा चक रिड़मलसर बारानी तहसील पदमपुर के मु.न 31 32 में 8.855 है. बारानी भूमि में हम प्रार्थीगण के पिता/पति की 2.213 है. बारानी भूमि है। उक्त भूमि हम प्रार्थीगण के पिता/पति की भूमि के हिस्सा तक विवादित भूमि पर मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे तथा रहन बैय किसी अन्य को न करें । ऐसा कोई कृत्य ना करें जिसे प्रार्थीगण को नुकसान होता हो। दिनांक 12.09.2024 जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को मूल वाद के निस्तारण तक स्थाई किया जाता हैं। इस प्रकरण मे प्रार्थीगण पिता/पति का चक 30 एमएल तहसील रायसिंहनगर कुल 14.764 है. में 1/4 हिस्सा व चक रिडमलसर बारानी मे 2.213 है. भूमि के अलावा अन्य खातेदारों का रकबा स्थगन से प्रभावित नहीं होगा। पत्रावली निर्णित होकर मूल वाद के साथ संलग्न रहे।

आदेश आज दिनांक 07.10.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सुभाष चन्द्र)
उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2024.11.25 14:49:31 IST
Reason: SelfAttested

SCAN AnyScanner